

दिनांक: -14-07-2018

पत्रावली राष्ट्रीय लोक अदालत पेश हुयी। प्रार्थी/वादी मुकदमा प्रदीप कुमार अग्रवाल मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित।

वादी मुकदमा द्वारा प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर वाद सं०-०२/२०१८, मु०अ०सं०-७१८/२०१७ में विवेचक द्वारा प्रेषित अंतिम आख्या स्वीकर कर वाद को समाप्त किये जाने का निवेदन किया गया।

सुना एवं पत्रावली का अवलोकन किया।

प्रस्तुत मामले में थाना-कोतवाली, मथुरा द्वारा मुकदमा अपराध संख्या-७१८/२०१७, अन्तर्गत धारा-३७९ भा.दं.स. के प्रकरण में बाद विवेचना अन्तिम आख्या सं०-३२४/२०१७ दिनांकित २९-०९-२०१७ प्रेषित की गयी है। उक्त अन्तिम आख्या पर सुनवाई हेतु वादी मुकदमा को नोटिस प्रेषित किया गया, जिस पर वादी मुकदमा द्वारा न्यायालय समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर विवेचक द्वारा प्रेषित अन्तिम आख्या को स्वीकार कर मुकदमा समाप्त किये जाने की याचना की गयी है। विवेचक द्वारा अन्तिम आख्या इस आधार पर प्रेषित की गयी है कि तमामी विवेचना से माल एवं अभियुक्त का पता न चलने के आधार पर माल मुल्जिमान की पतारसी, सुरागरसी जारी रखते हुये विवेचना जरिए अन्तिम आख्या समाप्त की गयी है। मामला वाहन चोरी से सम्बन्धित है, जिसमें वादी द्वारा अज्ञात के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया है। वादी मुकदमा अन्तिम आख्या के विरुद्ध कोई आपत्ति दाखिल करना नहीं चाहता है। अतः आपत्ति के अभाव में अन्तिम आख्या को अनिस्तारित रखना न्यायोचित न पाते हुए अन्तिम आख्या का निस्तारण किया जाना विधिसम्मत प्रतीत होता है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी पत्र संख्या -2981/F.T.C. Cell/Allahabad, Dated 01.03.2013 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अन्तिम आख्या के निस्तारण पर बल देते हुए पूर्व में जारी परिपत्र संख्या-31/12/एडिमन जी II, दिनांकित 11.12.2012 के माध्यम से न्यायालय में लंबित अन्तिम आख्या को वरीयता के आधार पर शीघ्रता से निस्तारित किये जाने का निर्देश दिया गया है। इसके अतिरिक्त उ०प्र० राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जारी पत्र संख्या 2816/डीएलएसए 153/2013 दिनांकित 29.10.2013 में दी गयी अपेक्षाओं के अनुरूप अन्तिम आख्या का शीघ्र निस्तारण किया जाना है।

विदित है कि विवेचक द्वारा विवेचना निष्पादित कर आरोप पत्र प्रेषित करने हेतु कोई साक्ष्य उपलब्ध न होने के आधार पर अन्तिम आख्या प्रेषित की गयी। वादी मुकदमा द्वारा प्रार्थनापत्र मय शपथपत्र प्रस्तुत कर अन्तिम आख्या के विरुद्ध कोई आपत्ति दाखिल न करने तथा अंतिम आख्या स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गयी है। अतः आपत्ति के अभाव में अन्तिम आख्या को अनिस्तारित रखना न्यायोचित न पाते हुए अन्तिम आख्या का निस्तारण किया जाना न्यायोचित होगा।

उपरोक्त विवेचन, मामले के तथ्यों व परिस्थितियों तथा अन्यथा साक्ष्य के अभाव में विवेचक द्वारा प्रस्तुत अन्तिम आख्या में कोई त्रुटि न पाते हुए उक्त अन्तिम आख्या को स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

विवेचक द्वारा मुकदमा अपराध संख्या-७१८/२०१७ अन्तर्गत धारा-३७९ भा.दं.स. थाना-कोतवाली, जिला-मथुरा के प्रकरण में प्रेषित अन्तिम आख्या संख्या-३२४/२०१७ दिनांकित २९-०९-२०१७ स्वीकार की जाती है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

(मयूर जैन)

अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
न्यायालय संख्या-03, मथुरा।